न्यायालय : तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)

(समक्ष–देवेश उपाध्याय)

Case Number	Cr.R/194/2025
Filling Number	Cr.R/1229/2025
CNR Number	MP0701 015689 2025
Ragistration Date	23-06-2025

श्रीमती मानसी, आयु–26 वर्ष, पत्नी श्री महावीर अवस्थी, पुत्री श्री सी.एल.शर्मा व्यवसाय–ग्रहकार्य निवासी–आरोग्यधाम अस्पताल के पास, महलगांव, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

——पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र **——प्रत्यर्थी**

1. महावीर अवस्थी, आयु लगभग 31वर्ष, पुत्र श्री राधेश्याम अवस्थी
2. राधेश्याम अवस्थी(पटेल), आयु–59वर्ष, पुत्र स्व. श्री सिद्धनाथ अवस्थी, व्यवसाय–कृषि
3. विशाल अवस्थी आयु 28वर्ष, पुत्र श्री राधेश्याम अवस्थी, व्यवसाय–संचालक अपोलो लेब (बहोड़ापुर ग्वालियर)
4. श्रीमती सुनीता अवस्थी, आयु 55वर्ष, पत्नी श्री राधेश्याम अवस्थी, व्यवसाय–गृहकार्य

समस्त निवासीगण–हरिहर नगर, गेटबंद कॉलोनी, सागरताल रोड, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

–अनावेदक / आरोपी

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से – श्री अरूण पटेरिया अधिवक्ता।
अनावेदकगण –अनिर्वाहित।

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 28.07.2025 को पारित)

01. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से धारा 438 सहपठित धारा 441, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, यह पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर, म.प्र. (श्री सुयश परनाम) द्वारा अपंजीकृत आपराधिक परिवाद प्रकरण कमांक UNCr/297/2025 श्रीमती मानसी विरूद्ध महावीर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश से न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 175(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का आवेदनपत्र निरस्त किया है। सुविधा की दृष्टि से अत्र पश्चात **''पुनरीक्षणकर्ता''** को **''आवेदक''** एवं **''प्रत्यर्थी कमांक 01 लगायत 04''** को **''अनावेदकगण''** के रूप मे संबोधित किया जायेगा।

02. विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक का विवाह दिनांक 21.04.2024 को अनावेदक कमांक 01 महावीर अवस्थी के साथ विधिवत रूप से हुआ था। विवाह की चर्चा के समय अनावेदक कमांक 01, 02 व 04 द्वारा बताया गया था कि अनावेदक कमांक 01 इनकम टैक्स ऑफिसर है तथा उसकी पोस्टिंग कोलकाता में है तथा चर्चा के दौरान यह भी तय हुआ कि फलदान में आवेदक 1,00,000/—रूपये नगद दे देंगे तथा सबको दिखाने के लिए 40,00,000/—रूपये का चैक दे देंगे। आवेदक के माता पिता द्वारा अनावेदकगण को 24,80,000/—रूपये व अन्य सामग्री विवाह के अवसर पर दिए गए थे। विवाह के पश्चात् दिनांक 25.04.2024 को अनावेदक कमांक 01 अर्जेन्ट कोलकाता ड्यूटी करने चला गया तथा आवेदक द्वारा आग्रह करने पर भी उसे अपने साथ लेकर नहीं गया, जिसके पश्चात् अनावेदक कमांक 02 लगायत 04 ने आवेदक को उसके मायके यह कहकर भिजवा दिया कि मॉ बाप से 70,00,000/—रूपये का इंतजाम कराओ, तभी यहां आना। इसी बीच आवेदक को अनावेदकगण के रिश्तेदार से ज्ञात हुआ कि अनावेदक कमांक 01 इनकम टैक्स विभाग में नौकरी नहीं करता है और दिल्ली में रहकर कोई काम करता है।

03. अवर न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से यह भी लेख किया है कि अनावेदकगण से बातचीत करने पर अनावेदकगण ने यह स्वीकार किया कि अनावेदक कमांक 01 इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत नहीं है और न ही कभी रहा है। अनावेदकगण द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि अनावेदकगण द्वारा झूठ

बोलकर अनावेदक क्रमांक 01 की शादी की गई थी तथा विवाह निमंत्रण पत्र में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होना गलत छपवाया था। अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा यह भी बताया गया कि वह दिल्ली में फैक्ट्री चलाता है तथा फैक्ट्री चलाने के लिए रंजीत से परिसर किराये पर लिया है तथा वह मैसर्स एन.आर.मशीन रिपील फैक्ट्री के नाम से फैक्ट्री चलाता है जिससे संबंधित दस्तावेज अनावेदक द्वारा आवेदक को दिए गये, जिसमें उल्लेख था कि रंजीत सिंह द्वारा अपने स्वामित्व की यार्ड अनावेदक क्रमांक 01 को किराये पर दी गई है तथा पार्टनरशिप डीड के अनुसार रिपुदमन सिंह और अनावेदक क्रमांक 01 महावीर द्वारा 10,00,000—10,00,000/—रूपये की पूंजी लगाकर मैसर्स एन.आर.मशीन रिपील की फर्म बनाई गई है, जो कि नोटराइज्ड है। तत्संबंध में जांच करने पर आवेदक को ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों ही दस्तावेज फर्जी है। अनावेदकगण द्वारा विवाह निमंत्रण पत्र में अनावेदक क्रमांक 01 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होना फर्जी रूप से बताया गया तथा अन्य कूटरचित दस्तावेज बनाकर आवेदक को धोखा देने का प्रयास किया गया। प्रकरण में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाना आवश्यक है एवं आवेदक के स्त्रीधन व दहजे के सामान की जप्ती करना तथा नोटरी द्वारा तस्दीक किये गए दस्तावेज की जप्ती कराई जाना भी अनिवार्य है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किए जाने का निवेदन किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2025 द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. का निरस्त कर दिया गया।

04. आवेदक की ओर से इस पुनरीक्षण याचिका में आवेदन पत्र के तथ्यों की ही पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2025 विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिशीलन से यह प्रकट है कि न्यायालय ने यह पाया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र सारगर्भित है जिसमें अग्रिम कार्यवाही की जाना परिलक्षित है। लेकिन विद्वान अवर न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आवेदक तथा उसके साक्षियों के न्यायालय में बयान देने से आवेदक का प्रकरण प्रमाणित नहीं हो सकता क्योंकि अनावेदकगण द्वारा फर्जी रूप से विवाह निमंत्रण पत्र में अनावेदक महावीर को इनकमटैक्स विभाग में कार्यरत होना दर्शाया और फिर बाद में दिल्ली की एक फैक्टरी में स्वयं को उसका पार्टनर होना फर्जी रूप से दर्शाकर फर्जी पार्टनरशिप डीड भी आवेदक को दी। जिसके संबंध

में संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा होना और उससे संबंधित दिल्ली के व्यक्तियों की गवाही भी होना है जो अभियोजन पत्र के माध्यम से होना संभव ही नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह माना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 230 के संबंध में आदेश पारित करना डिस्किसनरी है, जबकि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु को नजरअंदाज किया गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2025 को अपास्त किए जाने एवं अनावेदकगण के विरूद्ध उक्त अपराध के संबंध में संबंधित पुलिस थाना विश्वविद्यालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया है।

05. पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैः–

> ''क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं नियमितता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ?''

// **निष्कर्ष के आधार** //

06. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किए गए तर्को पर विचार किया गया। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए आधारों के संदर्भ में आलोच्य आदेश, अभिलेख, पुनरीक्षण याचिका एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

07. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के संदर्भ में यह लेख किया जाना उचित होगा कि धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. (पूर्व धारा 156(3) द.प्र.सं.) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां मजिस्ट्रेट न्यायालय की विवेकीय शक्ति होती है। आवेदक पक्ष द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि धारा 190 द.प्र.सं. के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

08. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि आलोच्य आदेश में अवर न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया है कि अनावेदकगण द्वारा फर्जी रूप से विवाह निमंत्रण पत्र में अनावेदक महावीर को इनकमटैक्स विभाग में कार्यरत होना दर्शाया और फिर बाद में दिल्ली की एक फैक्टरी में स्वयं को पार्टनर होना फर्जी रूप से दर्शाकर फर्जी पार्टनरशिप डीड भी आवेदक को दी। जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा होना और

उससे संबंधित दिल्ली के व्यक्तियों की गवाही भी होना है, आवेदन पत्र में अनावेदकगण द्वारा संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश न देकर अवर न्यायालय ने विधि एवं तथ्य की त्रुटि की है।

09. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ अवर न्यायालय के समक्ष थाना प्रभारी थाना विश्वविधालय को दिये गये शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2025, पुलिस अधीक्षक को दिये आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2025 की प्रतिलिपि, परिवाद पत्र क्रमांक 297/2025 की प्रतिलिपि, धारा–175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन पत्र एवं पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष आवेदन के समर्थन में विवाह पत्रिका, विवाह के 05 रंगीन छायाचित्र, अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा संपादित पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है।

10. अवर न्यायालय के अभिलेख पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र में कथित घटना के संबंध में आवेदक/परिवादी द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को एवं पुलिस अधीक्षक को भी घटना के संबंध में सूचना दी गई है। जिसके उपरांत भी कोई कार्यवाही न किये जाने पर परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्यों पर अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में उचित रूप से विचार किया है और न्यायदृष्टांत **प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य वि0 उ0प्र0 राज्य 2015 पार्ट 06 एस.सी. 287** का अवलंब लेकर न्यायदृष्टांत की मंशा का पालन किये जाने का निष्कर्ष भी दिया है।

11. आवेदक/परिवादी का तर्क मुख्य रूप से यह है कि अनावेदकगण ने अनावेदक क्र. 01 का फर्जी रूप से इंकम टैक्स ऑफिसर होना बताकर आवेदक के साथ शादी कर छल कारित किया है। इस संबंध में परिवादी की ओर से विचारण न्यायालय के अभिलेख पर आवेदक पक्ष की ओर से छपवाई गई विवाह की पत्रिका, विवाह के छायाचित्र, अनावेदकगण की ओर से छपवाई गई विवाह की पत्रिका की प्रति प्रस्तुत की है, जिनका अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि अनावेदकगण की ओर से छपवाई गई विवाह की पत्रिका में अनावेदक क्रमांक 01 महावीर के नाम के समक्ष Income tax dept. लेख है। आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के संदर्भ में अवर न्यायालय द्वारा पुलिस थाना विश्वविद्यालय से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कराये जाने हेतु प्रेषित पत्र में दो प्रश्नों के संबंध में जानकारी चाही गई है जिनमें प्रथम यह है कि 'क्या आवेदक

श्रीमती मानसी द्वारा दिये गये शिकायती आवेदन पर से कोई रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है?' एवं द्वितीय यह कि 'एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करने का कारण।'

12. अवर न्यायालय द्वारा स्टेटस रिपोर्ट के संबंध में उक्त प्रश्नों के साथ प्रेषित पत्र पर से आरक्षी केंद्र विश्वविद्यालय द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ पुलिस द्वारा धारा 175(3)बी.एन.एस.एस. की जांच के दौरान मानसी शर्मा, श्रीमती चित्रा एवं छोटेलाल शर्मा के जांच कथन भी लेख कर संलग्न किये गये हैं। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार साक्षियों ने अनावेदकगण द्वारा अनावेदक क्र. 01 का इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत होकर कलकत्ता में पदस्थ होना बताकर आवेदक के साथ विवाह करना बताया है, जबकि आवेदक के अनुसार अनावेदक क्र. 01 उक्त विभाग में कार्यरत नहीं है। इस प्रकार पुलिस द्वारा आवेदन की जांच में साक्षीगण ने अनावेदकगण द्वारा धोखाधड़ी कर विवाह किये जाने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त प्रकृति के कथन किया जाना पुलिस प्रतिवेदन से भी प्रकट हैं, किंतु पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के कारण स्वरूप यह लेख किया है कि ''अनावेदकगण को फोन द्वारा सूचित कर थाने पर बुलाया गया, किंतु अनावेदकगण आज दिनांक तक थाने पर उपस्थित नहीं हुए, उपस्थित होने पर पति-पत्नी का परामर्श कराया जावेगा तथा विधि संगत कार्यवाही की जायेगी''।

13. अवर न्यायालय के समक्ष पुलिस थाना विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन में कथित शिकायती आवेदन पत्र पर से रिपोर्ट दर्ज न करने का जो कारण **''पति-पत्नी का परामर्श कराया जावेगा''**, लेख किया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य केवल पारिवारिक/वैवाहिक विवाद होना ही प्रकट नहीं है, बल्कि आवेदक पक्ष ने स्पष्ट रूप से अनावेदकगण द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के कार्य एवं नौकरी के संबंध में प्रवंचना कर छल करते हुए विवाह किया जाना आक्षेपित किया है। चूंकि मामले में आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य केवल वैवाहिक प्रकृति/दाम्पत्य संबंधी विवाद ही नहीं है, बल्कि अन्य संज्ञेय प्रकृति के अपराध भी बताये गये हैं, तब पुलिस द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य पति-पत्नी संबंधी परामर्श कराये जाने मात्र के कारण विधिसंगत कार्यवाही नहीं किये जाने का प्रतिवेदन उचित नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश में आरक्षी केंद्र विश्वविद्यालय से आहूत किये गये उक्त जांच प्रतिवेदन एवं उससे प्रकट स्थिति पर विचार नहीं किया है, जबकि इस संबंध में पुलिस के समक्ष अनावेदक पक्ष की ओर से विवाह

के संबंध में छपवाई गई विवाह पत्रिका की प्रति भी प्रस्तुत रही है।

14. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में यह तथ्य तो लेख किया है कि अनावेदक क्र. 01 के इन्कम टैक्स विभाग में कार्यरत होने के संबंध में न्यायालय द्वारा आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों को आहूत किया जा सकता है, इस कारण पुलिस से अन्वेषण कराये जाने की कोई आवश्यकता न होना लेख किया है। आलोच्य आदेश में लेख उक्त तथ्य उचित है, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय ने स्वयं आरक्षी केंद्र विश्वविद्यालय से आहूत किये गये जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न कथनों पर विचार नहीं किया है और इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य केवल वैवाहिक और दाम्पत्य संबंधी विवाद नहीं है, बल्कि आवेदक ने अनावेदकगण द्वारा अनावेदक क्र. 01 का आयकर विभाग में कार्यरत होने के संबंध में मिथ्या जानकारी देकर प्रवंचित कर छल किया जाना आक्षेपित किया है और उस स्थिति पर आलोच्य आदेश में अवर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पुलिस से अनुसंधान न कराया जाकर स्वयं धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत जांच की कार्यवाही अग्रेषित की गई है, जबकि इसी अनुक्रम में आहूत किये गये पुलिस प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया है।

15. धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निर्देश दिए जाने का आज्ञापक प्रावधान नहीं है, बल्कि अवर न्यायालय की विवेकीय शक्ति है। इस संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निम्न न्यायदृष्टांत महत्वपूर्ण है:—न्यायदृष्टांत Hon'ble Delhi High Court in **Crl.M.C. 3601/2009 Mohd. Saleem Vs State Decided on 10.03.2010** held -

> "The use of expression "May" in sub-section (3) of Section 156 of the code leaves no doubt that the powers conferred upon the Magistrate is discretionary and he is not bound to direct investigation by the police even if the allegations made in the complaint disclose commission of a cognizable offence. In the facts and circumstances of a given case, the magistrate may feel that the matter does not require investigation by the police and can be proved by the complainant himself, without any assistance from the police."

16. इसी अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निम्न न्यायदृष्टांत महत्वपूर्ण है:—

> **Kishanlal Vs Dharmendra Batra & others 2009 (9) SCALE 768** ruled that the revisional court should not ordinarily interfere with the discretionary jurisdiction exercised by a Magistrate unless a jurisdictional or legal error of law is noticed.

17. उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधिक प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति विवेकीय शक्ति है, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि विवेक का उपयोग न्यायिक रूप से किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत मामले में अवर न्यायालय ने आरक्षी केंद्र विश्वविद्यालय से प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, साक्षियों के कथन, परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य केवल दाम्पत्य संबंधी विवाद नहीं है। तब अवर न्यायालय द्वारा उक्त विवेकीय शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना अपेक्षित है, जो कि नहीं किया गया है।

18. तब उक्त स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 175 (3) बी.एन.एस.एस. निरस्त करने में अपने विवेक का उचित रूप से प्रयोग न करते हुए उपरोक्त वर्णित दस्तावेज एवं स्थिति पर विचार नहीं किया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से **अपास्त** किया जाता है।

19. परिणामस्वरूप यह पुनरीक्षण याचिका **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि विद्वान अवर न्यायालय उनके अभिलेख पर प्रस्तुत सभी दस्तावेज, पुलिस प्रतिवेदन एवं उभयपक्ष के मध्य केवल वैवाहिक/दाम्पत्य संबंधी विवाद न होने की स्थिति पर विचार करते हुए परिवादी/आवेदक पक्ष को सुनकर पुनः आवेदन पत्र का समुचित निराकरण करे।

20. आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय को अभिलेख सहित सूचनार्थ भेजी जाए।

21. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।	मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया गया।
सही/–	सही/–
(देवेश उपाध्याय) तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)	**(देवेश उपाध्याय)** तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)

DEVESH UPADHYAY

Digitally signed by DEVESH UPADHYAY
Date: 2025.07.28 17:52:19 +0530